राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्या :– 08 / 2024

अंतर्गत

अपील संख्या :–1946 / 2002

गोपाल लाल खण्डेलवाल

–अपीलार्थी

बनाम

हरदेश कुमार शर्मा वगैरह

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री मुकेश जोशी, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह रिव्यू याचिका अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 46 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2024 को रिव्यू कर आदेश रिकॉल किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से तथ्य अंकित किये गये हैं कि अवमानना प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.01.2024 को माननीय अधिकरण के समक्ष क्रम संख्या 99 पर लिस्ट हुआ था तथा प्रकरण वास्ते बहस हेतु नियत किया गया था। उपरोक्त उनवानी अवमानना प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो रहे थे। अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से पैरवी करने हेतु पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राज. सरकार के पेनल एडवोकेट श्री मुकेश जोशी की नियुक्ति की गयी है तथा अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से प्रभारी अधिकारी / समन्वयक प्रकरण श्री मोहम्मद आरिफ अधीक्षक, ज्योतिष यंत्रालय (जंतर–मंतर) बनाया गया है। अवमानना प्रार्थना–पत्र में दिनांक 25.01.2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जयपुर के जंतर–मंतर में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ दौरा था, जिसके कारण प्रभारी अधिकारी उक्त सरकारी कार्यक्रम में अतिव्यस्त हो जाने के कारण उपस्थित नहीं हो

सके थे तथा प्रकरण के राजकीय अधिवक्ता भी उक्त दौरे के कारण जयपुर महानगर में अति भीड़भाड़ व जाम के हालात होने के कारण माननीय अधिकरण के समक्ष सुनवायी के समय उपस्थित नहीं हो पाये थे, परन्तु सुनवायी के पश्चात् उनके द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त उनवानी अवमानना प्रार्थना–पत्र में दिनांक 25.01.2024 को जब प्रकरण के राजकीय अधिवक्ता माननीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित आये तो उनको इस तथ्य का पता लगा कि माननीय अधिकरण द्वारा उक्त अवमानना प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष दिये गये हैं। माननीय अधिकरण के समक्ष उक्त दिनांक को ही इस प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण संख्या 7/2019 वास्ते रिव्यू किये जाने आदेश दिनांक 22.03.2018 भी नियत थी, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा कोई सुनवायी नहीं की जाकर प्रकरण में आगाती तारीख पेशी 20.02.2024 नियत की गयी है, जबकि उक्त प्रकरण में पहले सुनवायी की जानी चाहिये थी। उसके पश्चात् ही उपरोक्त उनवानी अवमानना प्रार्थना–पत्र में सुनवायी कानूनी रूप से की जानी चाहिये थी।

2. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता को सुना गया। उनका तर्क रहा है कि मूल अवमानना याचिका में सुनवाई के समय वे उचित कारणों से उपस्थित नहीं हो सके और बिना सुनवाई का अवसर दिये अवमानना याचिका को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रेफर किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि जिस अपील के आदेश की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अवमानना याचिका प्रस्तुत की गयी थी, उस अपील में पारित आदेश को रिव्यू किये जाने के लिये पृथक से रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जब तक रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं होती है, तब तक अवमानना याचिका माननीय उच्च न्यायालय में रेफर किया जाना उचित नहीं था।
3. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्को पर विचार किया।
4. जहां तक मूल अपील में रिव्यू का प्रश्न है, तो वह रिव्यू याचिका संख्या 7/2019 आज दिनांक 12.02.2024 को खारिज की जा चुकी है। यह पूछे जाने पर कि मूल अपील संख्या 1946/2002 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2018 की पालना की गयी है या नहीं, तो इस पर प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि रिव्यू याचिका लम्बित थी, इस

कारण से उक्त आदेश की पालना नहीं की गयी है। हम यह पाते हैं कि चूंकि अपील में अंतिम निर्णय की पालना गत 6 वर्षो में भी नहीं की गयी हैं। ऐसे में अवमानना याचिका को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रेफर किये जाने के आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। अतः यह रिव्यू याचिका खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)